भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2939

(दिनांक 05.08.2026 को उत्तर देने के लिए)

पत्रकारों तथा मीडिया कर्मियों का कल्याण

2939. श्री दामोदर अग्रवालः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पत्रकारों तथा मीडिया कर्मियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा संचालित उक्त योजनाओं से लाभान्वित पत्रकारों एवं मीडिया कर्मियों की संख्या का योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पत्रकारों तथा मीडिया कर्मियों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं?

(घ) क्या सरकार डेस्क रिपोर्टरों तथा स्वतंत्र पत्रकारों के कल्याण के लिए कोई कदम उठा रही है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) वर्तमान में देश में मान्यता प्राप्त पत्रकारों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (च): सरकार पत्रकारों/मीडिया कर्मियों अथवा उनके परिवारों को मृत्यु, स्थायी दिव्यांगता, गंभीर बीमारी तथा दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने से उत्पन्न अत्यधिक कठिनाई की स्थिति में तत्काल आधार पर एकमुश्त सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए पत्रकार कल्याण योजना (जेडब्ल्यूएस) का कार्यान्वयन करती है। इस स्कीम के अंतर्गत पत्र सूचना कार्यालय तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों के साथ-साथ गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकार भी शामिल किए गए हैं।

पत्रकार कल्याण योजना (जेडब्ल्यूएस) के अंतर्गत सरकार ने वर्ष 2014-15 से 2025-26 तक 456 पत्रकारों/मीडिया कर्मियों अथवा उनके परिवारों को 19.41 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) से मान्यता प्राप्त पत्रकार स्वयं तथा अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी देशभर में केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) की सुविधाओं के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इसमें सरकारी अस्पतालों/सीजीएचएस पैनलबद्ध निजी अस्पतालों में सीजीएचएस दरों पर उनके उपचार की सुविधा भी शामिल है।

पत्र सूचना कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पत्रकारों को मान्यता प्रदान करता है। वर्तमान में पत्र सूचना कार्यालय से मान्यता प्राप्त पत्रकारों की संख्या 1786 है।
